न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
उपस्थितः–सतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(CNR.No.UPSP010036212026)
दाण्डिक निगरानी संख्या–146/2026

नितिन कुमार पुत्र राजेन्द्र शर्मा, नवासी ग्राम सलेमपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर।

–निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार,
2– हरिराम पुत्र नजर सिंह,
3– रणवीर पुत्र हरिराम,
4– अर्पित पुत्र रणवीर,
समस्त निवासीगण ग्राम सलेमपुर, थाना नागल, जिला सहारनपुर।

–उत्तरदाता/विपक्षीगण।

"निर्णय"

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता **नितिन कुमार** की तरफ से परिवाद संख्या–1305/2021 नितिन कुमार बनाम हरिराम आदि अन्तर्गत धारा 307,392,452,504,506/34 भा0दं0सं0, थाना नागल, सहारनपुर में पारित आदेश दिनांकित 30.01.2026 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है। विवादित आदेश के माध्यम से विद्वान न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबंद, सहारनपुर द्वारा निगरानीकर्ता/प्रार्थी के परिवाद को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2– निगरानीकर्ता द्वारा संस्थित **निगरानी के आधार** निम्नवत् है किः–

विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 30–01–2026 विरूद्ध कानून है। माननीय विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करतें समय तथ्यों को अनदेखा किया है आलोच्य आदेश तथ्यों के विरूद्ध एवं न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया है। निगरानीकर्ता द्वारा उसके साथ दिनांक 14–11–2021 समय करीब 11 बजें दिन में घटित घटना की बाबत माननीय निम्न न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें निगरानीकर्ता के ब्यान अ.0 धारा–200 सीआरपीसी अंकित हुए और अ० धारा 202 सी आर पी सी राजेन्द्र शर्मा व विपिन कुमार शर्मा के ब्यान अंकित किये गये जो निगरानीकर्ता के

साथ घटित घटना का समर्थन करतें है लेकिन माननीय विद्वान निम्न न्यायालय ने ब्यान को नजर अन्दाज कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 30–01–2026 अनुमान पर आधारित है न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग आदेश पारित करतें समय नहीं किया गया है। माननीय निम्न न्यायालय द्वारा विधि के ''सुस्थापित सिद्धांत कि तलबी के प्रश्न पर साक्ष्य को मात्र प्रथम दृष्टतया ही देखना होता है'' माननीय निम्न न्यायालय ने उक्त आलोच्य आदेश पारित करतें समय उक्त सिद्वान्त की अवहेलना कर आलोच्य आदेश पारित किया है। वाद के तथ्यों एंव आरोपों को देखते हुए मा0 न्यायालय द्वारा विपक्षीगणों को तलब किया जाना आवश्यक था। मा0 निम्न न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का वाद खारिज कर दिया है, जिससे निगरानीकर्ता को न्याय से वंचित होना पडेगा। विवादित आदेश दिनांकित 30.01.2026 तार्किक व न्यायसंगत न होने के कारण निगरानी स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.01.2026 निरस्त किया जाकर विपक्षीगण को उचित धाराओं में तलब किये जाने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3– निगरानीकर्ता की उक्त निगरानी के विरूद्ध विपक्षीगण हरिराम आदि की ओर से **आपत्ति कागज संख्या–12ख** इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि इस मामले की घटना से पूर्व विपक्षी/आपत्तिकर्ता हरिराम से निगरानीकर्ता नितिन कुमार उर्फ विपिन, राजेन्द्र प्रसाद व मनीष शर्मा उर्फ भोला के द्वारा हाथ उधार के रूप में माह अप्रैल वर्ष 2013 में अंकन 2,90,000/–रूपये रूबरू गवाहान 6 माह में वापस करने का वादा करते हुए लिये थे। निगरानीकर्ता व उसके पिता राजेन्द्र प्रसाद व भाई नितिन उर्फ विपिन के द्वारा विपक्षी के पैसे हडप लिये जाने के कारण दिनांक 20–08–2016 में समय करीब 05:00 बजे निगरानीकर्ता व उसके भाई व पिता उपरोक्त के द्वारा प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के घर आकर गंदी गंदी गालियां देते हुए आपत्तिकर्ता के साथ थप्पड मुक्को से मारपीट कर आपत्तिकर्ता की जेब से जबरन 730/–रूपये निकाल लिये और जान से मारने की नियत से तंमचे से फायर कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में आपत्तिकर्ता की ओर से निगरानीकर्ता व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद में विचारण न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित किये जाने के पश्चात् उक्त मामले के दबाव बनाने के आशय से झूठे कथनों के आधार पर यह परिवाद दायर किया है। उक्त तथ्यों के आधार पर आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्ति स्वीकार की जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अवर न्यायालय की

तलब शुदा मूल पत्रावली का विवादित आदेश के सन्दर्भ में परिशीलन किया।

5– विद्वान अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी नितिन कुमार द्वारा परिवाद धारा 307, 392, 452, 504, 506/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभिकथन किया गया किः–

दिनांक 14.11.2021 को समय करीब 11 बजे दिन परिवादी अपने भाई विपिन कुमार के साथ खेडामुगल से अपने गांव सलेमपुर अपनी मोटरसाईकिल से आ रहा था। जब परिवादी नाफेपुर मोड से आगे पहुंचा तो पीछे से मोटरसाईकिल पर सवार होकर परिवादी के गांव के रणवीर पुत्र हरिराम व अर्पित पुत्र रणवीर आये और परिवादी के सामने मोटरसाईकिल लगाकर परिवादी की मोटरसाईकिल रोक ली और परिवादी के साथ गाली गलौच करने लगे परिवादी ने ऐसा करने से मना किया तो अर्पित ने देसी तमन्चा निकालकर परिवादी को आंकित करते हुए उसकी जेव से 12 हजार रूपये व सोने की चौन जबरदस्ती लूटकर भाग गये। परिवादी ने गांव में आकर अपने साथ हुई घटना के सम्बन्ध में हरिराम को बताया परन्तु कुछ समय बाद लगभग 12 बजे दोपहर हरिराम पुत्र नजर सिंह, रणवीर पुत्र हरिराम व अर्पित पुत्र रणवीर गाली गलौच करते हुए परिवादी के घर में जबरदस्ती घुस आये और परिवादी को जान से मारने की नीयत से अपने हाथ में लिये तमंचों से रणवीर व अर्पित ने फायर किये, जिससे परिवादी बाल–बाल बचा, मौके पर परिवादी का भाई विपिन कुमार शर्मा व राजेन्द्र शर्मा आदि बहुत से व्यक्ति आ गये, जिन्होंने परिवादी को उक्त व्यक्तियों से बचाया, जाते समय मुल्जिमान आईन्दा मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। परिवादी के द्वारा इस सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र थाना नागल पर दिया गया, लेकिन थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर इसके बाद परिवादी विवश होकर एक प्रार्थनापत्र कुल वाकात की बाबत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सहारनपुर के यहां भेजा, जिसकी रसीद रजिस्ट्री व प्रार्थनापत्र की फोटो कापी प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। इस पर भी कोई कार्यवाही न होने के कारण परिवादी माननीय न्यायालय में यह परिवाद योजित किया गया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी/निगरानीकर्ता का बयान अर्न्तगत धारा 200 दं0प्र0सं0 तथा अर्न्तगत धारा 202 दं0प्र0सं0, पी0डब्लू0–1 राजेन्द्र प्रसाद, पी0डब्लू0–2 विपिन कुमार शर्मा का बयान लेखबद्व किया गया।

अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्य एवं साक्ष्य के

आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 30.01.2026 के माध्यम से निगरानीकर्ता/परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 सीआरपीसी में निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ही यह निगरानी योजित की गयी है।

6– निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में लिए गये आधारो को दोहराते हुए आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने तथा निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश अपास्त करने की याचना की गयी है।

7– उपरोक्त के विरूद्ध विपक्षीगण हरिराम आदि के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश सही एवं विधि अनुसार साक्ष्य के अनुरूप होने, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं होने की याचना की गयी है।

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2012(3) जे.आई.सी.–772(एस.सी)** में यह उल्लिखित किया गया है कि–

पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहॉ पर–

1.जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी है, वह बिल्कुल विधि के विपरीत है,

2.विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और

3.बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिए गए है,

4.तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

5.न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त निर्णय विधि के प्रकाश में न्यायालय को यह देखना है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं ?

9– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि तलबी के स्तर पर विद्वान अवर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला ही देखना था। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना परिलक्षित है परन्तु इसके बावजूद भी विद्वान अवर

न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य को अनदेखा करते हुए परिवादी के परिवाद को निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है।

10– विपक्षी/राज्य की ओर से उपरोक्त बहस का विरोध किया गया और यह बहस की गई है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 30.01.2026 पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी सं0 2 हरिराम के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि निगरानीकर्ता एंव पक्ष के लोगों के विरूद्ध विपक्षी सं0 2 के द्वारा योजित परिवाद में तलबी आदेश पारित होने के पश्चात् उक्त मामले में दबाव बनाने के आशय से निगरानीकर्ता द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर यह परिवाद योजित किया गया है।

11– उक्त सन्दर्भ में अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.11.2021 को अपने भाई के साथ खेडा मुगल से अपने गांव आते समय विपक्षी रणवीर व अर्पित द्वारा उनकी मोटरसाईकिल रोककर तमंचा दिखाकर उसकी जेब से 12 हजार रूपये व चैन जबरदस्ती लूट लेने तथा इसके पश्चात् समय करीब 12 बजे पुनः विपक्षीगण रणवीर, अर्पित व हरिराम द्वारा उनके घर में घुस कर जान से मारने की नियत से फायर करने व जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया है।

12– उक्त परिवाद के कथनों के समर्थन हेतु धारा 200 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत परीक्षित परिवादी द्वारा अपने गवाहान में दिनांक 14.11.2021 की प्रथम घटना के दौरान विपक्षी रणवीर व अर्पित द्वारा उसे देशी तमंचा दिखाकर उसके गले की चैन लूटने तथा उपरोक्त दिनांक को घटित द्वितीय घटना के दौरान उपरोक्त विपक्षीगण के साथ विपक्षी हरिराम को जबरदस्ती उसके घर में घुसकर तमंचा दिखाकर गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है।

13– परिवाद के कथनों के समर्थन में धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत परीक्षित साक्षीगण पी0डब्ल्यू0 1 राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अपने बयान में दिनांक 14.11. 2021 को रणवीर व अर्पित के द्वारा उसके पुत्रों के द्वारा लूटपाट करने व दोपहर 12 बजे हरिराम, रणवीर व अर्पित द्वारा उसके घर में जबरदस्ती घुसकर तमंचा दिखाकर गाली गलौच व जाने से मारने की धमकी देने को कथन किया है। पी0डब्लू0 2 विपिन कुमार द्वारा अपने बयान में दिनांक 14.11.2021 को रणवीर व अर्पित द्वारा उसके भाई नितिन कुमार से 12 हजार रूपये व सोने की चैन लूटने तथा दोपहर 12 बजे उनके घर में घुस कर तमंचा दिखाते हुए गाली गलौच व जान से मारने की

धमकी देने का कथन किया है।

14– पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी नितिन ने कथित घटना के दौरान विपक्षीगण विपिन व अर्पित द्वारा उससे 12 हजार रूपये लूटने एंव दोपहर 12 बजे विपक्षी हरिराम, विपिन व अर्पित द्वारा उनके घर में घुस कर तमंचे से फायर करने की परिवाद में अभिलिखित घटना कहानी का न्यायालय के समक्ष धारा 200 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिये गये बयान में समर्थन नहीं किया गया है। इसी प्रकार पी0डब्ल्यू0 1 राजेन्द्र व पी0डब्ल्यू0 2 विपिन द्वारा भी न्यायालय के समक्ष धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिये गये अपने अपने बयानों में परिवादी में अभिलिखित दोपहर 12 बजे विपक्षीगण द्वारा उनके घर में घुसकर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने की घटना कहानी का समर्थन नहीं किया है।

15– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादपत्र एंव साक्षीगण के बयानों में घोर विरोधाभाष होने के दृष्टिगत उक्त वाद कथानक मनगढंत एंव संदिग्ध पाते हुए आलोच्य आदेश के माध्यम से निगरानीकर्ता/परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 203 सीआरपीसी के अंतर्गत निरस्त कर कोई विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि कारित न किये जाने के कारण आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतएव निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त दाण्डिक निगरानी तद्नुसार निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 31.01.2026 की पुष्टि की जाती है।

आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांक 06.06.2026 **सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**

I.D. UP-1891

आज यह निर्णय, आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांक 06.06.2026 **सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**

I.D. UP-1891